

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/148)

निर्णय दिनांक:- 3-12-25

1. श्रवण उर्फ श्रवणराम पुत्र हिराराम जाति सुथार निवासी 33 एल.एल.डब्ल्यू
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-अपीलांट-

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-02-1997
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकान बीकानेर




उपस्थिति:-

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक


-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 28-02-1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा द्वारा तहसील पूगल में चक 3 एम.जी.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नम्बर 79/45. तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18-09-1995 को अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 3 एम.जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नम्बर 79/45. तादादी 25 बीघा भूमि का पात्र माना है। अपीलांट को किश्ते जमा करवाने बाबत कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन की सूचना अपीलांट/प्रार्थी को नहीं दी। अपीलांट/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपने उक्त आवंटन का पता लगाता रहा। आवंटित भूमि की किश्ते जमा करवाने को भी तैयार था परन्तु अपीलांट को हमेशा यही जवाब मिलता रहा कि अपीलांट को भूमि आवंटन के उपरान्त किस्ते जमा कराने के नोटिस जारी होने के उपरान्त ही किस्ते जमा करवाई जा सकेगी। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी पुगल व खाजुवाला के कार्यालय में भी कई बार अपनी पत्रावली पर भूमि आवंटन हेतु चक्कर लगाता रहा। अपीलांट में संबंधित बाबूओ से निवेदन किया कि आवंटन की जानें वाली भूमि खाली है। भूमि आवंटन कर किस्ते जमा कराने हेतु भी निवेदन किया था। अपीलांट को कोई न्याय नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट प्रार्थी का प्रस्तावित भूमि का आवंटन किया गया ना ही अर्नेस्ट मनी का रिफंड किया गया। बिना सूचना व नोटिस के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 28.02.1997 को खरीज कर दिया गया। अपीलांट दिनांक 25.03.2025 को पुनः अपनी भूमि आवंटन की पत्रावली पर हुई कार्यावाही का पता करने उपखण्ड अधिकारी पुगल व उपरांत खाजुवाला कार्यालय में गया व अपनी आवंटित भूमि की किस्ते जमा करवाने हेतु निवेदन किया तब संबंधित बाबू ने बताया कि आपकी पत्रावली तो उपलब्ध नहीं है। अपीलांट को भूमि आवंटित हुई है तो पटवार हल्का से तथा मौके पर अपने आवंटन संबंधित मुरब्बा नं व चक नं से पता करों कि भूमि खाली है। अन्य को आवंटित तो नहीं है। अथवा जमीन अराजीराज है जिससे आगामी कार्यावाही सुनिश्चित की जा सकती है। अपीलांट दिनांक 25.03.2025 को उक्त 3 एम.जी.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नं 79/45 पर मौके पर जाकर अवलोकन कर मौका स्थिति देखी तो भूमि खाली थी। अपीलांट




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अगले दिन पटवार हल्का सें 3 एम.जी.डब्ल्यू.एम के मुरबा नं 79/45 की राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट मांगी तो पटवार हल्का ने बताया कि उक्त रकबा अभी आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अपनी आवंटन पत्रावली जिला कलेक्टर रिकार्ड कार्यालय बीकानेर में जमा है। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजुवाला में दिनांक 25.03.2025 को जाकर अपने उक्त मुरब्बा की आवंटन की पत्रावली पर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया कि पटवार हल्का ने मुझे बताया है कि भूमि खाली है व आराजीराज है। इस कारण मुझे मेरे द्वारा विशेष आवंटन में भूमि आवंटन का आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन की जावें। तब आवंटन शाखा के बाबू ने बताया की न्यायालय ए.सी.सी छतरगढ मुकाम बीकानेर आदेश को सक्षम अपील अधिकारी से पुनः बहाल होने के उपरांत ही भूमि आवंटन अपीलांट को की जा सकेगी। भूमि आराजीराज है, तो अब आपको ही आवंटन की जा सकती हैं। आपकी पत्रावली रिकार्ड रूम जिला कलेक्टर बीकानेर में जमा है। वहां से नकल प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में अपील कर बहाली का आदेश ले आओं। अपीलांट अपने गांव जाकर रूपयों पैसों की व्यवस्था कर बीकानेर आकर वकील नियुक्त कर आवंटन पत्रावली की प्रमाणित नकल हेतु दिनांक 26.03.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया। जो तैयार बाद दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त हुई। उक्त दिनांक को ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट ने भूमि आवंटन के इंतजार में 28 वर्ष बीत गये इस दौरान अपीलांट बार-बार अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर निकालता रहा। हमेशा अपीलांट को यही आश्वासन मिला कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की जा रही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित कर कानून भूल कारित की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर




सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।



4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियांद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियांद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of**


 राजस्थान अपील अधिकारी
 बीकानेर

limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order." अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील पूगल में चक 3 एम.जी.डब्ल्यू. एम के मुरब्बा नम्बर 79/45. तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओदशिका दिनांक 18-01-1997 को यह उल्लेखित किया कि उक्त वादगत भूमि हेतु आवेदन किया गया है जिसे स्वीकार कर अपीलांट को समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ चालान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु दिनांक 28-02-1997 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।



प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2)
Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar - Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पूर्णतया सही चस्या होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील अधिकारी
 बीकानेर

